न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2012 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 03.09.2012

सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़
2–श्रीमती कंकुदेवी पत्नि नारायण लाल खटीक निवासी खटीक मौहल्ला, चित्तौड़गढ़
3–श्री नारायण पिता गणेश खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
4–रमेश पिता गणेश खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
5–सोसर पिता गणेश खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
6–शांति पिता गणेश खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
7–अणछी पिता गणेश खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
8–ग्यारसी पिता गणेश खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
9–कैलाश पिता हजारी खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
10–मुकेश पिता मांगीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
11–राजू पिता मांगीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
12–शंकर पिता मांगीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
13–विमला पुत्री मांगीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
14–पिंकी पुत्री मांगीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
15–टमुबाई पत्नि मांगीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
16–रामकुमार पिता बंशीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
17–सत्येश पिता बंशीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
18–चांदमल पिता बंशीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
19–गायत्री पिता बंशीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़
20–विमला पिता बंशीलाल खटीक निवासी चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

कार्यवाहीः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 02/2012 (रेफरेंस)
सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ बनाम आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ वगैरा

उपस्थितिः- 1- श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2- श्री आर. सी. गर्ग, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3- श्री राकेश कुमार जैन अधिवक्ता विपक्षी सं. 2, 3, 10 से 14, 16, 17 व 20
4- श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 06.08.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1532 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म नाडी होकर बिलानाम मेवाड़ बन्दोबस्त में दर्ज थी। सम्वत् 2009 से 2012 से पूर्व भी आराजी नम्बर 1532 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा किस्म नाडी दर्ज थी। इस भूमि के नवीन आराजी नम्बर 2315 रकबा 0.06 है., 2316 रकबा 0.19 है. एवं 2317 रकबा 0.27 है. बने जो विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 2315 रकबा 0.06 है., 2316 रकबा 0.19 है. एवं आ. नं. 2317 रकबा 0.27 है. किता 3 कुल रकबा 0.52 है0 को किस्म नाडी बिलानाम दर्ज की जावे।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आर. सी. गर्ग, विपक्षी संख्या 2, 3, 10 से 14, 16, 17 व 20 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार जैन व विपक्षी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1532 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि किस्म नाडी बिलानाम दर्ज थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से इसे किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती थी। जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 2012 में उक्त भूमि में से आराजी नम्बर 1532/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा एवं आ. नं. 1532/2 रकबा 3 बिस्वा भूमि किस्म नाडी बिना किसी आदेश के श्री किशना पिता नन्दा खटीक निवासी चित्तौड़गढ़ के नाम अंकित कर दी गई एवं आराजी नम्बर 1532 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा किस्म नाडी नगर पालिका (नगर विकास प्रन्यास) चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी गत आराजी के नवीन आराजी नम्बर 2315 रकबा 0.06 है., 2316 रकबा 0.19 है. एवं 2317 रकबा 0.27 है. बने जो विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 के निर्देशानुसार 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकर्ड की स्थिति को यथावत रखने हेतु ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 2315 रकबा 0.06 है., 2316 रकबा 0.19 है. एवं आराजी नम्बर 2317 रकबा 0.27 है. का पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकार्ड में किस्म नाडी दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो विधि-विपरीत होने से उक्त अंकन निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने कथन किया कि आराजी नम्बर 1532 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि बिलानाम नाडी होना स्वीकार नहीं है यह भूमि बिलानाम होने से राज्य सरकार द्वारा आबादी हेतु आवंटन हुई है। उक्त रेफरेन्स अवधि बाहर होने से आवेदन खारीज फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3, 10 से 14, 16, 17 व 20 ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गत आराजी नम्बर 1532 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा में से आराजी नम्बर 1532/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर्चा खतौनी में नाडी वाला कुआं के नाम से श्री किशना पिता नन्दा खटीक के खातेदारी में दर्ज हुई जो सन् 1947 के पूर्व के आदेश है। विपक्षीगण के पूर्वजों ने इस पर कुआ खुदवाया और आराजी को पीवल बनाई तथा इस पर काश्त की है। यह भूमि विधि सम्मत कार्यवाही से किशना के नाम पर आई है। वास्तव में गत आ. नं. 1532/2 रकबा 0.06 एयर भूमि में कुआ था जिसे नाडी दर्ज किया जो गलत है इसी प्रकार आ. नं. 1532/1 रकबा 0.19 एयर भूमि सिंचित होकर कृषि पैदावारी के लिए विगत 70 वर्षो से काम आ रही है। उक्त भूमि जिसके गत आ. नं. 1532/1 व 1532/2 कभी भी नाडी के रूप में न तो रही न पानी निकास का नैसर्गिक स्त्रोत रहा। वास्तव में 1532 मी. का 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार नाडी थी जो वर्तमान में नगर पालिका चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज है। नवीन आ. नं. 2315 व 2316 कुल रकबा 0.25 है. भूमि गणेश, हजारी, बंशीलाल पिता किशना की खातेदारी की कृषि पैदावारी भूमि थी। जिस पर 2315 आ. चा. कुए से सिंचाई करते थे उक्त खातेदारान ने नवीन आ. नं. 2316 को रजिस्टर्ड विक्रय-विलेख दि. 20.11.97 से आ. नं. 2315 के

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सिंचाई के हक सहित सम्पूर्ण रकबा 0.19 है. को विपक्षी कंकूदेवी पत्नि नारायण खटीक को विक्रय कर आधिपत्य सौंपा तब से इस पर बहेसियत काबिज होकर काश्त करती व करवाती रही है। आ. नं. 2316 न तो पहले कभी मौके पर नाडी थी और न वर्तमान में नाडी है। जिससे उच्च न्यायालय का न्यायिक विनिश्चय अब्दुल रहमान बनाम सरकार इस प्रकरण की परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से लागू नहीं होते है। रेफरेन्स का लिमिटेड स्कॉप है, इस भूमि बाबत् रेफरेन्स नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त योग्य है अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 2315 रकबा 0.06 है., आ. नं. 2316 रकबा 0.19 है. एवं आ. नं. 2317 रकबा 0.27 है. पूर्व में बिलानाम नाडी दर्ज थी अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रीट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में रेफरेंस स्वीकार कर उक्त भूमि को बिलानाम नाडी दर्ज किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम यहां यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि पूर्व में ही इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 16/2010 निर्णय दिनांक 06.05.2014 से तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का आवेदन रेफरेन्स योग्य मानते हुए तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को गत बन्दोबस्त की आ. नं. 1532 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि किस्म नाडी में से नवीन आराजी नम्बर 2315 रकबा 0.06 है. एवं आराजी नम्बर 2316 रकबा 0.19 है. किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। अतः अब इस प्रकरण में मात्र आराजी नम्बर 2317 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि के संबंध में ही निर्णय लिया जाना है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1532 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि किस्म नाडी दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि की किस्म नाडी होने से, इसे किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं की जा सकती थी। आराजी नम्बर 1532 मी. रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि से नवीन आराजी नम्बर 2317 रकबा 0.27 हैक्टेयर बने हैं जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमियां आवंटन योग्य नहीं है और इनमे खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी. बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश 02.08. 2004 मे ऐसी भूमियों के संबंध में समुचित कार्यवाही कर दिनांक 15 अगस्त 1947 के समय के मौका एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत रखने के निर्देशों के तहत उपरोक्त आराजी को पुनः पूर्व अंकन अनुसार रेकर्ड में किस्म नाडी दर्ज किया जाना आवश्यक होने से प्रकरण रेफरेन्स योग्य है।

अतः भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम चित्तौड़गढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 1532 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि किस्म नाडी में से नवीन आराज़ी नम्बर 2317 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि जो विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है, को पुनः किस्म नाडी बिलानाम अंकन कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

मण्डल, राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official